

भारत के संविधान के अधीन गठित षोडश बिहार विधान सभा के सप्तम्-सत्र
का औपबधिक कार्यक्रम

अगस्त, 2017

सोमवार, दिनांक 21 अगस्त, 2017

1. श्रावण या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)।
2. बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सदन पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
3. वित्तीय वर्ष 2017-2018 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन।
4. शोक प्रकाश (यदि हो)।

मंगलवार, दिनांक 22 अगस्त, 2017

बुधवार, दिनांक 23 अगस्त, 2017

}

राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य।

वृहस्पतिवार, दिनांक 24 अगस्त, 2017

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक।

शुक्रवार दिनांक 25 अगस्त, 2017

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।

* * * * *

دستور ہند کے تحت تشکیل شدہ سولہویں بہار قانون ساز اسمبلی کے ساتویں اجلاس کا عارضی پروگرام

اگست، 2017

- 1- حلف یا عہد برداری (اگر ہو)۔ 21 اگست، 2017 سوہوار، مورچہ
- 2- بہار قانون ساز یہ کے اجلاس میں نہیں رہنے کی مدت میں عزت مآب گورنر کے ذریعے
مشفق فرامین کی مصدقہ کاپیوں کا اپوان کے میز پر رکھا جانا (اگر ہو)۔
- 3- مالی سال 2017-18 کے پہلے تہہ تفصیلات اخراجات کی پیشی۔
- 4- اظہار تعزیت (اگر ہو)۔
- مشکل، مورچہ 22 اگست، 2017
بدھ، مورچہ 23 اگست، 2017
- 1- مالی سال 2017-18 کے پہلے تہہ تفصیلات اخراجات پر بحث و مباحثہ اور اس سے متعلق تصرف مل۔ 24 اگست، 2017 جمعرات، مورچہ
- غیر سرکاری اراکین کے امور۔ (غیر سرکاری عہد)۔ 25 اگست، 2017 جمعہ، مورچہ

☆☆☆

बिहार विधान सभा सचिवालय
घोड़श बिहार विधान सभा का सप्तम् सत्र
प्रश्नों के लिए चक्रानुवर्तित क्रम

निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिनांक 21 अगस्त, 2017 से 25 अगस्त, 2017 तक होने वाले सप्तम् सत्र में माननीय सदस्यों के अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न सदन में लिए जायेंगे :-


वर्ग	मंत्री	विभाग	निर्धारित तिथियाँ
द्वितीय वर्ग (मंगलवार)	प्रभारी मंत्री	शिक्षा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	22 अगस्त, 2017
तृतीय वर्ग (बुधवार)	प्रभारी मंत्री	ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग तथा श्रम संसाधन विभाग	23 अगस्त, 2017
चतुर्थ वर्ग (वृहस्पतिवार)	प्रभारी मंत्री	कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, विधि विभाग (धार्मिक न्यास), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा सहकारिता विभाग	24 अगस्त, 2017
पंचम वर्ग (शुक्रवार)	प्रभारी मंत्री	ऊर्जा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पर्यटन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग, विधि विभाग (वक्फ), स्वास्थ्य विभाग एवं विधि विभाग।	25 अगस्त, 2017

प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि निम्न प्रकार है :-

“क” तारांकित			
वर्ग-2	वर्ग-3	वर्ग-4	वर्ग-5
08.08.2017	09.08.2017	10.08.2017	11.08.2017
“ख” अल्पसूचित			
वर्ग-2	वर्ग-3	वर्ग-4	वर्ग-5
16.08.2017	16.08.2017	17.08.2017	18.08.2017

नोट:- सभी तिथियों को प्रश्न 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किए जायेंगे।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,


(पवन कुमार सिन्हा)

उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञापक:-प्रश्न विविध-21/2015- 5935-5949

/वि०स०, पटना, दिनांक- 4 अगस्त, 2017 ई०

प्रतिलिपि:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार सरकार / राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव सचिव, बिहार विधान परिषद् / सचिवालय के सभी विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पवन कुमार सिन्हा
(पवन कुमार सिन्हा) 4/8/17

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक:-प्रश्न विविध-21/2015- 5935-5949

/वि०स०, पटना, दिनांक- 4 अगस्त, 2017 ई० ।

प्रतिलिपि:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित ।

पवन कुमार सिन्हा
(पवन कुमार सिन्हा) 4/8/17

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक:-प्रश्न विविध-21/2015- 5935-5949

/वि०स०, पटना, दिनांक- 4 अगस्त, 2017 ई० ।

प्रतिलिपि:-उप सचिव, सूचना शाखा / श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा / प्रश्न शाखा के सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पवन कुमार सिन्हा
(पवन कुमार सिन्हा) 4/8/17

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

2.11/17
4-8-17

बिहार विधान सभा सचिवालय

शलाकन का कार्यक्रम

षोडश बिहार विधान सभा के सप्तम् सत्र के कार्यक्रमानुसार माननीय सदस्यों के अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों की सूचना की पूर्वता निर्धारित करने के लिए शलाकन निम्न तालिका के अनुसार सभा भवन स्थित सचिव के कार्यालय कक्ष में 3.00 बजे अपराह्न में होगी :-

प्रश्न वर्ग	मौखिक उत्तर देने की तिथि	अल्पसूचित प्रश्न	तारांकित प्रश्न
वर्ग-2	22.08.2017	18.08.2017	16.08.2017
वर्ग-3	23.08.2017	21.08.2017	16.08.2017
वर्ग-4	24.08.2017	21.08.2017	17.08.2017
वर्ग-5	25.08.2017	22.08.2017	18.08.2017

अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों की सूचना देने वाले माननीय सदस्य (यदि चाहें तो) प्रश्नों के लिए ऊपर नियत शलाकन की तिथि को उपस्थित हो सकते हैं ।

प्रश्नों के संबंध में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के उपबंध यथावत लागू रहेगा ।

शलाकन केवल स्वीकृत अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों का ही होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,


(पवन कुमार सिन्हा)

उप सचिव,


बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-प्रश्न विविध-21/2015-

5934

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 4 अगस्त, 2017 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण के सूचनार्थ प्रेषित ।


(पवन कुमार सिन्हा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

21/8/17
क.ए.१३

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-कार्य०का०सू०-10/2017-

/वि०स० ।

6571-6575

प्रेषक,

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
बिहार विधान सभा,
(माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण सहित)

पटना, दिनांक- 4 अगस्त, 2017 ई० ।

विषय:- भारत के संविधान के अधीन गठित षोडश बिहार विधान सभा के सप्तम् सत्र (अगस्त, 2017) का औपबोधक कार्यक्रम ।

महोदय/महोदया,

सभा सचिवालय के पत्रांक कार्य०का०सू०-10/2017-6570 /वि०स०, पटना, दिनांक 4 अगस्त, 2017 के क्रम में निदेशानुसार मैं षोडश बिहार विधान सभा के सप्तम् सत्र के औपबोधक कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ, जिसमें यह दर्शाया गया है कि उक्त सत्र में होनेवाली सभा की बैठकों में भिन्न-भिन्न कोटि के लिए कौन-कौन सी तिथियाँ नियत की गयी हैं:-

1. सोमवार, दिनांक 21 अगस्त, 2017 को (1) शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो) किया जाएगा (2) बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी (3) वित्तीय वर्ष 2017-2018 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन होगा, तदुपरान्त शोक प्रकाश लिए जायेंगे ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 176 (6) परन्तुक के साथ सहगठित नियम-24 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्यय से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी में सम्मिलित किसी मांग पर कटीती प्रस्तावों की सूचना देने की अन्तिम तिथि 22 अगस्त, 2017 (3.00 बजे अप० तक सचिव के कार्यालय कक्ष) नियत की गयी है ।

2. मंगलवार, दिनांक 22 अगस्त, 2017 एवं बुधवार, दिनांक 23 अगस्त, 2017 को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य का व्यवस्थापन होगा ।

3. वृहस्पतिवार, दिनांक 24 अगस्त, 2017 को वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का व्यवस्थापन होगा ।

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य

(गैर सरकारी संकल्प)

4. शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त, 2017 गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प) के लिए नियत की गई है ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-150 के अनुसार गैर सरकारी संकल्पों की सूचना देने की अंतिम तिथि गैर सरकारी संकल्प के व्यवस्थापन हेतु नियत तिथि से 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व निर्धारित है ।

अतएव तत्प्रयोजनार्थ केवल वे ही संकल्प (गैर सरकारी) लिए जायेंगे जिनके संबंध में सूचनाएं निम्न अनुसूची में उल्लिखित तिथि तक प्राप्त हो जाए:-

गैर सरकारी संकल्प के लिए नियत तिथि	संकल्प की सूचना देने की अंतिम तिथि	शलाका के लिए नियत तिथि
शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त, 2017	शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त, 2017 को 3.00 बजे अप० तक	शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त, 2017 (5.00 बजे अप०)

मैं इस संबंध में आपका ध्यान बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-151 की ओर भी आकृष्ट करता हूँ जिसके अनुसार किसी सदस्य को गैर सरकारी संकल्पों के निबटारे के निमित्त निश्चित हर दिन के लिए एक से अधिक संकल्प की सूचना नहीं देने का प्रावधान है।

प्रश्न

5. (क) प्रश्नों की सूचनाएँ देने के लिए चक्रानुवर्तित क्रम की सारणी अलग से परिचारित की जा रही है।


(ख) विगत सत्रों में अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्नों की प्राथमिकता शलाका द्वारा निर्धारित की जाएगी।

6. सत्र में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यों के लिए उपर्युक्त नियत तिथियाँ ऐसे परिवर्तनों के अधीन है, जो समय-समय पर सदन में अभिज्ञापित किये जायेंगे अथवा दैनिक कार्य-सूची में दिखलाए जायेंगे।

7. यदि किसी कार्यवश दिनांक 25 अगस्त, 2017 के पश्चात् भी सत्र चलाना आवश्यक प्रतीत हुआ, तो भिन्न-भिन्न कार्यों के निपटारे के लिए भिन्न-भिन्न तिथियाँ नियत करते हुए एक अनुपूरक कार्यक्रम बाद में निर्गत किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि सभा सचिवालय से समय-समय पर प्रेषित कार्य-सूची सहित अन्य ऐसे कागजात को अवश्य साथ लाने की कृपा करेंगे जो सत्रावधि में निदेश के लिए आपको आवश्यक प्रतीत हो।

विश्वासभाजन


(राम श्रेष्ठ राय)

सचिव,


6571-6575

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-10/2017-

/वि०स०, पटना, दिनांक- 4 अगस्त, 2017 ई०।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।


(राजीव कुमार)

6571-6575

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-10/2017-

/वि०स०, पटना, दिनांक- 4 अगस्त, 2017 ई०।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के सभी उप सचिव / अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजीव कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

25/08/2017

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-प्रश्न विविध-21/2015- 5719 / वि०स० ।

प्रेषक,

पवन कुमार सिन्हा,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
बिहार सरकार, पटना ।


पटना, दिनांक- 03 अगस्त, 2017 ई० ।

विषय:- षोडश बिहार विधान सभा का दिनांक-28.07.2017 से 03.08.2017 तक आहुत षष्टम् सत्र में अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों की सूचना को निरस्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-464, दिनांक-27.07.2017 (संलग्न) के आलोक में षोडश बिहार विधान सभा का दिनांक-28.07.2017 से 03.08.2017 तक आहुत षष्टम् सत्र में अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों की सूचनाओं को निरस्त किया जाता है ।

विश्वासभाजन,


(पवन कुमार सिन्हा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।


03.08.17